"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 नवम्बर 2005—कार्तिक 17, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक 13/सीएसईआरसी/2005.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42, 86 (1) (जी) एवं 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, (2004, बनाया जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 16 फरवरी 2005 को प्रकाशित किया गया है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग उपरोक्त विनियम के कण्डिका 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग शुल्क एवं प्रभार विनियम, 2004 में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :

   (i) इस विनियम को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005 कहा जावेगा.

   (ii) यह विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगा.

2. **परिभाषा** :

   (ए) "मूल विनियम" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2004 है.

   (बी) यहां इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो कि मूल विनियम में है.

3. **मूल विनियम के अनुसूची 1 : शुल्क एवं प्रभार का संशोधन :**
मूल विनियम के अनुसूची 1 : शुल्क एवं प्रभार, के क्र. 26 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

क्र.		विवरण	शुल्क/प्रभार
26.		विविध आवेदन अर्थात् ऐसे आवेदन जिसका इस अनुसूची में अन्यत्र उल्लेख न हो,	
	(ए)	अनुज्ञप्तिधारी/माने हुये अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कम्पनी, के द्वारा	रु. 10,000 (दस हजार रुपये)
	(बी)	किसी संस्थान/संगठन/कंपनी या ऐसे संयुक्त समूह या ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुज्ञप्ति लेने से अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई हो, के द्वारा	रु. 5,000 (पांच हजार रुपये)
	(सी)	व्यक्तिगत उपभोक्ता	रु. 1000 (एक हजार रुपये)
	(डी)	याचिका/आवेदन में संशोधन हेतु या उपरोक्त सभी संवर्गों में अतिरिक्त अभिवचन/याचना हेतु.	उपरोक्त शुल्क का 10 प्रतिशत

Raipur, the 24th October 2005

No. 13/CSERC/2005.—In exercise of the powers vested under clause (g) of sub section (1) of section 86 read with Section 181 (1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission has made the CSERC (Fees and Charges) Regulations, 2004, which was notified in Chhattisgarh Rajpatra (Extra-ordinary) on 16th February 2005.

The CSERC, in exercise of the powers vested on it under Clause 7 of the aforesaid Regulations, makes the following regulation to amend the CSERC (Fees & Charges) Regulations, 2004 :—

1. **Short title and commencement :**
   (i) These Regulations may be called the CSERC (Fees & Charges) (First amendment) Regulations, 2005.

   (ii) These Regulations shall Come into force from the date of their publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

2. **Definitions :**
   (a) "Principal Regulations" means the CSERC (Fees & Charges) Regulations, 2004.

   (b) All other words and expressions used in these Regulations but not defined shall have the same meaning as in the Principal Regulations.

3. **Amendment of Schedule I: Fees & Charges :**

Sl. No. 26 of Schedule-I of Principal Regulations shall be substituted by the following :-

Sl. No.		Description	Fees/Charges
26.		Miscellaneous applications, i.e. application not covered elsewhere in this schedule,	
	(a)	By a licensee/deemed licensee/generating company	Rs. 10,000 (Rupees Ten thousand)
	(b)	By any institution/organization/company or body corporate or person exempted from license under Sec. 13 of the Act.	Rs. 5,000 (Rupees Five thousand)
	(c)	Individual consumer	Rs. 1,000 (Rupees One thousand)
	(d)	Amendment of petition/application or additional pleadings/relief for all the categories above.	10% of the above fees

आयोग के आदेशानुसार,
अजय श्रीवास्तव, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.